Starred Question No. 47

To Increase the Powers of Sarpanch and Gram Panchayats

NOTE FOR PAD

As per the provisions of the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, the funds released to Gram panchayat under Central Finance Commission, State Finance Commission, Surcharge on VAT or any other fund which the Government deems fit shall constitute as grant-in-aid and shall be credited to the Gram fund. Also, as per these rules, the Gram Panchayat is competent to accord administrative approval of work(s) from its Gram fund up to any limit.

For carrying out any development work, below provision exists in the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules:

"All development works shall be executed through tender by Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad or Executive Engineer, as the case may be, subject to technical approval as per Schedule 'A' and tender process shall be carried out as per Schedule 'B' and 'C'.

Provided that for the development works estimated to cost up to five lakh rupees may be executed by the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be without following the tender process subject to the condition that such estimated amount of works shall not exceed twenty-five lakh rupees or half of the total available Gram Fund or Samiti Fund or Zila Parishad Fund, as the case may be, whichever is lower during the whole financial year."

Referenced Documents:

- Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules as notified on 13th October, 2017
- Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules as notified on 9th May, 2023

Scanned with CamScanner

तारांकित प्रश्न संख्या 47

सरपंचों तथा ग्राम पंचायतों की शक्तियां बढाने बारे

नोट फोर पैड

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान और निर्माण नियमों के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, वैट पर अधिभार या किसी अन्य निधि के तहत ग्राम पंचायत को जारी की गई निधियां जो सरकार उचित समझती है, सहायता अनुदान के रूप में गठित होगीं और ग्राम निधि में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन नियमों के अनुसार, ग्राम पंचायत किसी भी सीमा तक अपनी ग्राम निधि से कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम है।

किसी भी विकास कार्य को करने के लिए, हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा, कराधान और कार्य नियमों में निम्न प्रावधान मौजूद हैः

"सभी विकास कार्यो का निष्पादन, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुसूची 'क' के अनुसार तकनीकी स्वीकृति के अध्यधीन निविदा के माध्यम से किया जाएगा और निविदा प्रकिया अनुसूची 'ख' और 'ग' के अनुसार की जाएगीः

परन्तु पांच लाख रूपये तक की अनुमानित लागत वाले विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निविदा प्रकिया का अनुसरण किए बिना इस शर्त के अध्यधीन निष्पादित किया जा सकता है कि कार्य की ऐसी अनुमानित राशि पच्चीस लाख रूपये या जो पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि के आधे, जैसी भी स्थिति हो, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।"

संदर्भित दस्तावेजः

- हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम 13 अक्टूबर, 2017 को अधिसूचित
- हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम 9 मई, 2023 को अधिसूचित

Sh. Ajay Kumar, IAS
9991148989

Scanned with CamScanner

भाग – III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या का0आ0 68/ह0अ0 11/1994/धा0 209/2017.– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का 11), की धारा 209 की उप– धारा(2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ067/ह0अ011/1994/धा0 209/2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज, वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 13 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> **"13क सहायता अनुदान क्रेडिट धारा 40, 98 तथा 145.–** केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मूल्य वर्धित कर पर अधिभार या कोई अन्य राशि जो सरकार उचित समझे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को जारी की गई निधियां, सहायता अनुदान के रूप में गठित होंगी और ग्राम निधि, समिति निधि तथा जिला परिषद निधि, जैसी भी स्थिति हो, में जमा होंगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 134 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(क) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूची क के अनुसार बिना किसी सीमा के क्रमशः ग्राम निधि, समिति निधि, जिला परिषद् निधि से कार्य (कार्यों) के निष्पादन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान के लिये सक्षम होगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् कार्य का स्वयं निष्पादन कर सकती है या उसको संविदाकार के माध्यम से करवा सकती है या अनुसूची क के अनुसार तकनीकी स्वीकृत के अध्यधीन पंचायती राज इंजीनियरी विंग को कार्य सौंप सकती है। सभी लेखे सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा विभागीय रजिस्टर प्ररूप LVIII और निविदा रजिस्टर LIX और LX में अनुरक्षित रखे जाएंगे'; "।

4. उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची क तथा ख के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2017

No. S.O. 68/H.A.11/1994/S.209/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) and with reference to Haryana Government, Development and Panchayats Department, Notification No. S.O.67/H.A.11/1994/S.209/2017, dated the 26th September, 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and works Rules, 1996, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, (hereinafter called the said rules), for rule 13A, the following rule shall be substituted, namely:-

"Credit of grant-in-aid sections 40, 98 and 145.— The funds released to a Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad under the Central Finance Commission, State Finance Commission, Surcharge on VAT or any other fund which the Government deems fit, shall constitute as grant-in-aid and shall be credited to the Gram Fund, Samiti Fund and Zila Parishad Fund, as the case may be.".

3. In the said rules, in rule 134, in sub rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, shall be competent to accord administrative approval of work(s) from Gram Fund, Samiti Fund, Zila Parishad Fund respectively, without any capping as per Schedule 'A'. The Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad may execute the work itself or get it done through a contractor or entrust the work to the Panchayati Raj Engineering Wing, subject to technical approval as per Schedule 'A'. All the accounts shall be maintained by the respective authorities as per departmental register in Form LVIII and tender register Form LIX and LX."

4. In the said rules, for existing Schedule A and B, the following Schedules shall be substituted respectively, namely:-

भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2023

संख्या का०आ० 21/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023.– हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप– धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या DPH-ECA-2-257/2023, दिनांक 7 फरवरी, 2023 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पंचायती राज, वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट लेखा, लेखा–परीक्षा, कराधान तथा संकर्म नियम, 1996 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,–

'(i) खण्ड (xi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

'(xiक) "कार्य का विभागीय निष्पादन" से अभिप्राय है, संबंधित विभाग अपेक्षित श्रमिकों को नियोजित करेगा, जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, मजदूर, भिश्ती इत्यादि जिनकी हाजरी प्रतिदिन मस्टर रोल में दर्ज की जाएगी। सन्निर्माण हेतु सामग्री और संयंत्र और उपकरणों (कुशल श्रमिक के व्यक्तिगत उपकरणों को छोड़कर) की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। श्रमिकों का भुगतान यथा विनिश्चित साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक रूप से किया जाएगा; ';

(ii) खण्ड (xl) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(xL) ''निविदा'' से अभिप्राय है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दिए गए किसी भी विकास कार्य या विकास कार्य के किसी भाग को करने के लिए ठेकेदार द्वारा दिया गया प्रस्ताव;'।

3. उक्त नियमों में, "उपमंडल अधिकारी" शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "उपमंडल अभियंता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 131 में, उप–नियम (1) में,–

(i) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"(ख) वास्तविक कार्यों की लागत के अलावा, यथा सुसंगत लागत के अन्य घटक, जैसे आकस्मिकताएं, गुणवत्ता नियंत्रण उपाय इत्यादि, लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुसार रफ् लागत प्रांक्कलन उपलब्ध करवाया जा सकता है ;

(ग) प्ररूप LVI और LVII में पुनरीक्षित प्रांक्कलन प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जब स्वीकृत प्रांक्कलन राशि अधिक होने की संभावना है या 10 प्रतिशत अधिक हो गया है, यदि यह निर्धारित अवधि के भीतर या हरियाणा लोक निर्माण विभाग दर अनुसूची, 2021 के अनुसार दरों में पुनरीक्षण के कारण निष्पादित न किया गया हो।" ;

(ii) खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(छ) विभिन्न प्रकार के कार्यों को एक ही प्रांक्कलन में जोड़ने के बजाए, प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग प्रांक्कलन तैयार किया जायेगा। किसी गली के फुटपाथ कार्य की दशा में, सभी प्रस्तावित गलियों के लिए एकल प्रांक्कलन तैयार किया जाएगा, किसी विशेष गली का कोई आंशिक प्रांक्कलन तैयार नहीं किया जाएगा। निधियों के दुरूपयोग या दोहराव से बचने के लिए प्रस्तावित गली को लाल रंग में, पहले से पक्की गलियों को काले रंग में और शेष कच्ची गलियों को पीले रंग में दिखाते हुए साइट प्लान संलग्न किया जाएगा। प्रत्येक प्रांक्कलन के साथ प्रस्तावित साइट की एक जियोटैग की गई तस्वीर, जिसमें तस्वीर लेने का समय और तिथि का विशिष्ट रूप से उल्लेख होगा, सलंग्न की जाएगी। कार्य विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।"।

5. उक्त नियमों में, नियम 134 में,–

(i) उप–नियम (1) में, खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''(क) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, अनुसूची 'क' के अनुसार अपनी क्रमिक निधियों से कार्य(कार्यों) की प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सक्षम होगी ;

(ख) सरकार की योजना/गैर–योजना स्कीमों के अधीन ग्राम निधि, समिति निधि, जिला परिषद निधि के अलावा अन्य निधियों के लिए, सरकार के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन अनुसूची 'क' के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ;

(ग) सभी विकास कार्यों का निष्पादन, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या कार्यकारी अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुसूची 'क' के अनुसार तकनीकी स्वीकृति के अध्यधीन निविदा के माध्यम से किया जाएगा और निविदा प्रक्रिया अनुसूची 'ख' और 'ग' के अनुसार की जाएगी:

परंतु पांच लाख रुपये तक की अनुमानित लागत वाले विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, निविदा प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना इस शर्त के अध्यधीन निष्पादित किया जा सकता है कि कार्य की ऐसी अनुमानित राशि पच्चीस लाख रुपये या जो पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध ग्राम निधि या समिति निधि या जिला परिषद निधि के आधे, जैसी भी स्थिति हो, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ;

(घ) संबंधित निष्पादन अभिकरण, अपने खाते में निधि के आवंटन के पन्द्रह दिनों के भीतर कार्य निष्पादन की प्रक्रिया, आरम्भ करेगा। सभी लेखों को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा प्ररूप LVIII में विभागीय रजिस्टर के अनुसार और प्ररूप LIX और LX में निविदा रजिस्टर के अनुसार, अनुरक्षित किया जाएगा ;";

(ii) उप–नियम (2) में, खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(क) पच्चीस लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य की दशा में, बोलीदाता को निविदा राशि का पांच प्रतिशत अग्रिम धन के रूप में जमा करना होगा। सफल बोलीदाता को, 'स्वीकृति पत्र' जारी किए बिना इस शर्त के अध्यधीन 'कार्य आदेश' जारी किया जाएगा कि बोलीदाता द्वारा जमा अग्रिम धन केवल तभी वापस किया जाएगा, जब अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति पांच प्रतिशत की दर से जमा की जाती है या पहले से चालू बिल में से इसे घटाया जाता है। पच्चीस लाख रुपये की लागत से अधिक के कार्य की दशा में, बोलीदाता को, निविदा राशि का दो प्रतिशत या एक लाख पच्चीस हजार, जो भी अधिक हो, अग्रिम धन के रूप में जमा करना होगा। सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों के लिए सरकार के सभी अभिकरणों को यथा लागू एक ही तन्त्र पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों पर लागू होगा। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यों पर यदि बोली निम्न दरों पर प्राप्त होती है, लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) द्वारा जारी मानक बोली दस्तावेज और सरकार के सभी अभिकरणों को यथा लागू उपबन्ध लागू होंगे।

सफल बोलीदाता स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद के रूप में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या कार्यकारी अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, के पास अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा करेगा। बोली दस्तावेज में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुपालन में सफल बोलीदाता की विफलता, अधिनिर्णय को रद्द करने और अग्रिम धन को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी और ऐसे बोलीदाता को विभाग में निविदाओं में भाग लेने से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जाएगा। यदि निविदा दरें असंयत प्राप्त होती हैं, तो बोली दस्तावेजों या समय–समय पर, सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति जमा की जा सकती है। जब कोई निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़कें) शाखा, हरियाणा के मैनुअल ऑफ ऑर्डर के पैरा 7.3 के उप–पैरा (1) में विहित प्ररूप में संबंधित पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज संस्था के आहरण तथा संवितरण अधिकारी तथा संबंधित उपमंडल अभियंता या कार्यकारी अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा संयुक्त रूप से ठेकेदार के साथ एक करार किया जाएगा। जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति, दोष दायित्व–एवं–अनुरक्षण अवधि के पूरा होने के बाद वापस कर दी जाएगी ;

(ख) ठेकेदार के चालू बिलों से छह प्रतिशत (संविदा मूल्य का अधिकतम पांच प्रतिशत) की दर से प्रतिभूति की कटौती की जाएगी, जो ठेकेदार को संपूर्ण कार्य के पूरा होने पर आधी तथा दोष दायित्व–एवं–अनुरक्षण अवधि बीत जाने पर बाकी आधी दी जाएगी। दोष दायित्व–एवं–अनुरक्षण अवधि के दौरान, अभियंता, समय पर, ठेकेदार को दोषों के बारे में सूचित करेगा। ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह इन दोषों को स्थल प्रभारी अभियंता की संतुष्ट के अनुसार दूर करें। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या कार्यकारी अभियन्ता, जैसी भी स्थिति हो, का आहरण तथा संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार और स्थल प्रभारी अभियंता द्वारा यह कवायद विधिवत् पूरी कर ली गई है। इस बीच, यदि उसका कार्य दोषपूर्ण या विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं पाया जाता है और ठेकेदार ने ऐसे दोष को दूर नहीं किया है या कार्य को विशिष्टताओं के अनुरूप लाने में विफल रहा है, तो उस दशा में, ऐसी प्रतिभूति या कटौती की गई राशि को बोली दस्तावेज के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा। चालू बिलों में से कटौती द्वारा की गई जमाराशियों तथा जमा के सभी भुगतानों का अभिलेख भी प्ररूप LXXII में, जमा रजिस्टर में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या कार्यकारी अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय में रखा जाएगा।"।

6. उक्त नियमों में, नियम 135 में उपनियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(1) यदि विकास कार्य की अनुमानित लागत पांच लाख रूपये तक है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, कार्य को या तो निविदा द्वारा अथवा विभागीय रूप से निष्पादित करने का निर्णय ले सकती है। निविदा के प्रयोजन हेतु नियम 134 में वर्णित उपबंध लागू होंगे। इंटरलॉकिंग फुटपाथ ब्लॉक की संदर्भ दरें राज्य स्तर पर अवधारित की जाएंगी। क्षेत्र के पदाधिकारी एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद या जेम पोर्टल के माध्यम से, जो भी निम्नतम हो, जिला स्तरीय समिति के माध्यम से संदर्भ दरों के बराबर या उससे कम दरों पर इंटरलॉकिंग फुटपाथ ब्लॉक की खरीद के लिए स्वतंत्र होंगे। आरसीसी बैंच, डस्टबिन, आरओ, वाटर कूलर, ट्राइसाइकिल, ई–रिक्शा इत्यादि जैसे स्टोर आइटम और जिस सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ता और दरें सरकार द्वारा तय नहीं की जाती हैं, सामग्री को स्थानीय बाजार के माध्यम से जिला स्तरीय क्रय समिति या जेम पोर्टल जो भी कम हो, द्वारा अनुमोदित दरों पर खरीदा जाना है। आपूर्ति आदेश क्रमशः ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद कि दशा में, सरपंच और ग्राम सचिव/पंचायत समिति के अध्यक्ष और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी/प्रधान जिला परिषद और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यानुसार स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थल माप के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिल की आपूर्ति की जाएगी। तकनीकी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास कार्यों का मूल्यांकन नवीनतम हरियाणा अनुसूची दर 2021 दरों के अनुसार किया जाएगा। किसी अन्य विधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा कर इत्यादि की कटौती और निक्षेपण नियमानुसार की जायेगी।

(2) जब पांच लाख रुपये तक की लागत के कार्य को विभागीय रूप से क्रियान्वित किया जाना है, कोटेशन के आधार पर कार्य केवल श्रमिक दरों पर किए जाएंगें। गठित समिति द्वारा श्रमिक दरों के लिए कोटेशन निम्नानुसार आमंत्रित किए जा सकते हैं:–

1. ग्राम पंचायत की दशा में, सरपंच, ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंता तथा समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी।
2. पंचायत समिति की दशा में, संबंधित खंड के अध्यक्ष पंचायत समिति, खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी और उपमंडल अभियंता।
3. जिला परिषद की दशा में, प्रधान जिला परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज।

उक्त समिति निम्नतम दरें तय करेगी और दरों को अंतिम रूप देते समय, अन्य पंचायती राज संस्थाओं में कार्यों की समान प्रकृति के लिए प्रचलित दरों को ध्यान में रखा जाएगा। कोटेशन नोटिस (प्ररूप LXXIII) नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की दशा में, सरपंच तथा ग्राम सचिव/सचिव/अध्यक्ष पंचायत समिति और खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रमशः कार्य आदेश जारी करेंगे। कार्यादेश की मात्रा में वृद्धि या एक ही कार्य को विभिन्न भागों में विभाजित करने की अनुमति नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कोटेशन रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें प्रत्येक कार्य के लिए आमंत्रित कोटेशन की प्रविष्टि उचित रिकॉर्ड और ऑडिट के लिए की जानी चाहिए। नियम 134 के उप–नियम (2) के खंड (ख) के अनुसार, चालू बिलों से प्रतिभूति की कटौती की जायेगी।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 145 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"146. **सामान्य दिशा निर्देश (धारा 209) .–** राज्य सरकार या लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी विकास कार्यों के निष्पादन से संबंधित किन्ही सामान्य दिशा–निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।"

147. **गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदारी (धारा 209) .–** निविदा के माध्यम से निष्पादित सभी कार्यों की गुणवत्ता और मात्रा के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियंता/उपमंडल अभियंता/कार्यकारी अभियंता जिम्मेदार होंगे, जिसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) के तकनीकी शाखा (कनिष्ठ अभियंता/उपमंडल अभियंता/कार्यकारी अभियंता) तथा आहरण तथा संवितरण अधिकारी द्वारा 80:20 के अनुपात में शेयर किया जाएगा। ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा बिना निविदा प्रक्रिया के निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिये संबधित तकनीकी प्राधिकारी के अतिरिक्त संबंधित पंचायती राज संस्था के आहरण तथा संवितरण अधिकारी, जो कार्य का भुगतान अवमुक्त कर रहे हैं, जिम्मेदार होंगे और पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) के आहरण तथा संवितरण अधिकारी के लिए क्रमशः 80:20 के अनुपात में उत्तरदायित्व का बंटवारा किया जाएगा अर्थात् संबंधित पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) के आहरण तथा संवितरण अधिकारी की 80 प्रतिशत और तकनीकी शाखा (कनिष्ठ अभियंता/उपमंडल अभियन्ता/कार्यकारी अभियंता) की 20 प्रतिशत की जिम्मेदारी होगी।

148. **प्रगति की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट (धारा 209) .–** ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की दशा में, संबंधित खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी तथा जिला परिषद् या कार्यकारी अभियंता द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की दशा में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिमास सभी विकास कार्यों की

प्रगति की समीक्षा की जाएंगी। खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी, ऐसी रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जो जिले की संकलित मासिक रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

149. **सामग्री की दरों का निर्धारण (धारा 209) .–** भवन सन्निर्माण सामग्री, जिसके लिए सरकार द्वारा, दर अनुबंध नहीं किया गया है, उपायुक्त की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी और कार्यकारी अभियंता से मिलकर बनी समिति, खंडानुसार विभिन्न सामग्री की दर निर्धारित करेगी तथा बाजार में प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छह मास के बाद दरों की समीक्षा करेगी। दरों के निर्धारण के समय, ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों का अन्वेषण किया जाएगा।

150. **कार्यों का निरीक्षण और सत्यापन (धारा 209) .–** (1) किसी भी विकास कार्य के संबंध में, किसी भी निष्पादन अभिकरण द्वारा अग्रिम रूप से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी सत्यापन के बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त उपायुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी और खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी उनके क्रमिक अधिकारिता में कुल कार्यों का कम से कम क्रमशः 1%, 1%, 2%, 5%, 5%, 5%, 5% और 10 प्रतिशत अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेंगे।

(3) ग्राम सचिव ग्राम पंचायत द्वारा किए गए सभी आय तथा व्यय की मासिक रिपोर्ट समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो उसे खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी, सभी ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का नियमित निरीक्षण करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायत द्वारा अनाधिकृत कोई निकासी न हो और ऐसे सभी मामलों की लिखित सूचना संबंधित खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी को तत्काल देनी होगी, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

(4) यदि कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद या कार्यकारी अभियंता, स्वीकृत कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए निधि का उपयोग करता है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के आहरण तथा संवितरण अधिकारी या संबंधित कार्यकारी अभियंता और कार्य का सत्यापन करने वाले तकनीकी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

(5) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या संबंधित कार्यकारी अभियन्ता, निष्पादन अभिकरण होने के नाते, किए गए कार्य के पूरा होने के पन्द्रह दिनों के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से निदेशक को उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार और प्रस्तुत करेगा।

(6) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की दशा में, अनुमानित आकस्मिकता का आधा भाग खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के आकस्मिक लेखे में अंतरित किया जाएगा। इस प्रकार हस्तांतरित की जाने वाली आकस्मिक राशि का उपयोग खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी या उपमंडल अभियंता द्वारा निविदा प्रक्रिया, लेखन सामग्री, वाहनों के लिए किराया शुल्क और अन्य अप्रत्याशित खर्चों जैसे खर्चों के लिए किया जा सकता है। शेष 50% आकस्मिकता की राशि निष्पादन अभिकरण द्वारा किसी अन्य खर्च को वहन करने के लिए अपने पास रखी जाएगी।''।

8. उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची "क", अनुसूची "ख", अनुसूची "ग" तथा अनुसूची "घ" के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

अनुसूची "क"

[देखिए नियम 131, 132 तथा 134]

सक्षम प्राधिकारी		(क) प्रशासनिक स्वीकृति (ख) तकनीकी स्वीकृति							
क्रम संख्या	**कार्य की किस्म तथा मूल्य**	**ग्राम पंचायत निधि से निष्पादित किए जा रहे कार्य**		**पंचायत समिति निधि से निष्पादित किए जा रहे कार्य**		**जिला परिषद् निधि से निष्पादित किए जा रहे कार्य**		**राज्य सरकार निधि से निष्पादित किए जा रहे कार्य**	
		के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति	के द्वारा तकनीकी स्वीकृति	के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति	के द्वारा तकनीकी स्वीकृति	के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति	के द्वारा तकनीकी स्वीकृति	के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति	के द्वारा तकनीकी स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"क" मूल कार्य रूपये में:–									
1.	बिना किसी सीमा में उनकी अपनी निधि के साथ–साथ सहायता अनुदान से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु।	ग्राम पंचायत	1. कनिष्ठ अभियंता ₹2.00 लाख तक 2. उप मंडल अभियंता ₹2.00 लाख से अधिक और ₹25.00 लाख तक 3. कार्यकारी अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ तक 4. अधीक्षण अभियंता ₹1.00 करोड़ से अधिक और ₹2.50 करोड़ तक 5. मुख्य अभियन्ता ₹2.50 करोड से अधिक	पंचायत समिति	1. कनिष्ठ अभियंता ₹2.00 लाख तक 2. उप मंडल अभियंता ₹2.00 लाख से अधिक और ₹25.00 लाख तक 3. कार्यकारी अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ तक 4. अधीक्षण अभियंता ₹1.00 करोड़ से अधिक और ₹2.50 करोड़ तक 5. मुख्य अभियन्ता ₹2.50 करोड से अधिक	जिला परिषद्	1. कनिष्ठ अभियंता ₹2.00 लाख तक 2. उप मंडल अभियंता ₹2.00 लाख से अधिक और ₹25.00 लाख तक 3. कार्यकारी अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ तक 4. अधीक्षण अभियंता ₹1.00 करोड़ से अधिक और ₹2.50 करोड़ तक 5. मुख्य अभियन्ता ₹2.50 करोड से अधिक	1. विकास तथा पंचायत मंत्री ₹10.00 करोड तक 2. मुख्यमंत्री ₹10.00 करोड से अधिक	1.कनिष्ठ अभियंता ₹2.00 लाख तक 2. उप मंडल अभियंता ₹2.00 लाख से अधिक और ₹25.00 लाख तक 3. कार्यकारी अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ तक 4. अधीक्षण अभियंता ₹1.00 करोड़ से अधिक और ₹2.50 करोड़ तक 5. मुख्य अभियन्ता ₹2.50 करोड से अधिक
ख. मरम्मत और अनुरक्षण									
1	बिना किसी सीमा में उनकी अपनी निधि के साथ–साथ सहायता अनुदान से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु।	ग्राम पंचायत	1. कनिष्ठ अभियंता ₹20,000 तक	पंचायत समिति	1. कनिष्ठ अभियंता ₹20,000 तक	जिला परिषद्	1. कनिष्ठ अभियंता ₹20,000 तक	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) ₹2.00 लाख तक गली की दशा में तथा ₹10.00 लाख तक गली के अतिरिक्त की दशा में	1. कनिष्ठ अभियंता ₹20,000 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. उप मंडल अभियंता ₹20,000 से अधिक और 10.00 लाख तक		2. उप मंडल अभियंता ₹20,000 से अधिक और 10.00 लाख तक		2. उप मंडल अभियंता ₹20,000 से अधिक और 10.00 लाख तक	2. निदेशक ₹2.00 लाख से अधिक और 10.00 लाख तक गली की दशा में तथा ₹10.00 लाख से अधिक और 25.00 लाख तक गली के अतिरिक्त की दशा में	2. उप मंडल अभियंता ₹20,000 से अधिक और 10.00 लाख तक
			3. कार्यकारी अभियंता ₹10.00 लाख से अधिक और 25.00 लाख तक		3. कार्यकारी अभियंता ₹10.00 लाख से अधिक और 25.00 लाख तक		3. कार्यकारी अभियंता ₹10.00 लाख से अधिक और 25.00 लाख तक	3. प्रशासकीय सचिव ₹25.00 लाख से अधिक और 50.00 लाख तक	3. कार्यकारी अभियंता ₹10.00 लाख से अधिक और 25.00 लाख तक
			4. अधीक्षण अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और 1.00 करोड़ तक		4. अधीक्षण अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और 1.00 करोड़ तक		4. अधीक्षण अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और 1.00 करोड़ तक	4. विकास तथा पंचायत मंत्री ₹50.00 लाख से अधिक और 2.00 करोड़ तक	4. अधीक्षण अभियंता ₹25.00 लाख से अधिक और 1.00 करोड़ तक
			5. मुख्य अभियन्ता ₹1.00 करोड़ से अधिक		5. मुख्य अभियन्ता ₹1.00 करोड़ से अधिक		5. मुख्य अभियन्ता ₹1.00 करोड़ से अधिक	5. मुख्यमंत्री ₹2.00 करोड़ से अधिक	5. मुख्य अभियन्ता ₹1.00 करोड़ से अधिक

अनुसूची 'ख'

निविदाएं आमंत्रित करना और स्वीकार करना

[देखिए नियम 134 तथा 135]

क्रम संख्या	मूल कार्यों / मरम्मत कार्यों की लागत	निविदा / कुटेशन मांगने हेतु नोटिस तैयार करने वाला प्राधिकारी	निविदा / कुटेशन मांगने हेतु नोटिस स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	निविदा / कुटेशन मांगने वाला प्राधिकारी	निविदा / कुटेशन को स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी	स्वीकार्य शर्तें, यदि कोई हों	कार्य आदेश / करारनामा निष्पादित करने वाला प्राधिकारी	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	₹ 25.00 लाख तक / ₹ 2.50 लाख तक (ग्राम निधि / समिति निधि / जिला परिषद निधि)	कनिष्ठ अभियंता	उप मंडल अभियंता	उप मंडल अभियंता (कार्य की लागत की कुटेशन ₹ 5.00 लाख तक के मामले में सरपंच या (अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी) या (प्रधान तथा	उप मंडल अभियंता संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत या चैयरमैन पंचायत समिति या अध्यक्ष, जिला परिषद, जैसा भी स्थिति हो,	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम से अधिक 5 प्रतिशत तक हैं, तो उप मंडल अभियंता सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान जैसी भी स्थिति हो, की सहमति से दरों का अनुमोदन करेगा।	उप मंडल अभियंता तथा {सरपंच या (अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी) या (प्रधान तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी)} जैसा भी स्थिति हो	प्रांक्कलन तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	की सहमति के साथ	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक हैं, तो कार्यकारी अभियंता सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान, जैसा भी स्थिति हो, की सहमति से दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरे हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम 10 प्रतिशत से अधिक है, तो अधीक्षक अभियंता, सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान की सहमति से दरों को अनुमोदित करेगा, जैसा भी स्थिति हो।	संयुक्त रूप में।	
2	₹ 25.00 लाख से अधिक तथा 2.50 करोड़ तक / ₹ 2.50 लाख से अधिक तथा 25.00 लाख तक (ग्राम निधि / समिति निधि / जिला परिषद निधि)	1. उप मंडल अभियंता ₹ 1.00 करोड़ तक 2. कार्यकारी अभियंता ₹ 1.00 करोड़ से अधिक तथा 2.50 करोड़ तक	1. कार्यकारी अभियंता ₹ 1.00 करोड़ तक 2. अधीक्षक अभियंता ₹ 1.00 करोड़ से अधिक तथा 2.50 करोड़ तक	कार्यकारी अभियंता	कार्यकारी अभियंता ग्राम पंचायत के सरपंच या पंचायत समिति के अध्यक्ष या जिला परिषद के प्रधान, जैसा भी स्थिति हो, की सहमति से	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम से अधिक 5 प्रतिशत तक हैं तो कार्यकारी अभियंता सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान जैसा भी स्थिति हो, की सहमति से दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक हैं, तो अधीक्षण अभियंता सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान, जैसा भी स्थिति हो, की सहमति से दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरे हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के	कार्यकारी अभियंता तथा {सरपंच या (अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी) या (प्रधान तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी)} जैसा भी स्थिति हो संयुक्त रूप में।	प्रांक्कलन तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						10 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य अभियंता, सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान जैसा भी स्थिति हो, की सहमति से दरों को अनुमोदित करेगा, ।		
3	₹ 2.50 करोड़ से अधिक / 25 लाख से अधिक (ग्राम निधि / समिति निधि / जिला परिषद निधि)	कार्यकारी अभियंता	अधीक्षण अभियंता	कार्यकारी अभियंता	कार्यकारी अभियंता, ग्राम पंचायत के सरपंच या पंचायत समिति के अध्यक्ष की या जिला परिषद के अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, की सहमति से।	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम से अधिक 5 प्रतिशत तक हैं, तो अधीक्षण अभियंता सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान जैसा भी मामला हो, की सहमति से दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक हैं, तो मुख्य अभियंता, सरपंच या अध्यक्ष या प्रधान, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति से दरों का अनुमोदन करेगा।	कार्यकारी अभियंता तथा {सरपंच या (अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी) या (प्रधान तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी)} जैसा भी स्थिति हो संयुक्त रूप में	प्राक्कलन तकनीकी रूप से स्वीकृत होना चाहिए
4	₹ 25.00 लाख तक / 2.50 लाख तक (राजकीय कोष)	1. उपमंडल अभियंता ₹ 1.00 करोड़ तक 2. कार्यकारी अभियंता ₹ 1.00 करोड़ से अधिक तथा 2.50 करोड़ तक	1. कार्यकारी अभियंता ₹ 1.00 करोड़ तक 2. अधीक्षण अभियंता ₹ 1.00 करोड़ से अधिक तथा 2.50 करोड़ तक	कार्यकारी अभियंता	कार्यकारी अभियंता	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम से अधिक 5 प्रतिशत तक हैं, तो कार्यकारी अभियंता दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक हैं, तो अधीक्षण अभियंता दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरे हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल	उप मंडल अधिकारी तथा {सरपंच या (अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी) या (प्रधान तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी)} जैसी भी स्थिति हो संयुक्त रूप में। कार्यकारी अभियंता (विभागीय मामले में)	सामान्यतः निधियां पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित की जाऐगी, निधियां कार्यकारी अभियता (पंचायती राज) को भी आबंटित की जा सकती है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य अभियंता दरो को अनुमोदित करेगा।		
5	₹ 25.00 लाख से अधिक तथा 2.50 करोड़ तक / ₹2.50लाख से अधिक तथा 25.00 लाख तक (राजकीय कोष)	1. उपमंडल अभियंता ₹ 1.00 करोड़ तक 2. कार्यकारी अभियंता ₹ 1.00 करोड़ से अधिक और 2.50 करोड़ तक	1. कार्यकारी अभियंता ₹ 1.00 करोड़ तक 2. अधीक्षण अभियंता ₹ 1.00 करोड़ से और 2.50 करोड़ तक	कार्यकारी अभियंता	कार्यकारी अभियंता	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम से अधिक 5 प्रतिशत तक हैं तो कार्यकारी अभियंता दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक हैं, तो अधीक्षक अभियंता दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरे हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 10 प्रतिशत से अधिक है, तो मुख्य अभियंता दरो को अनुमोदित करेगा।	कार्यकारी अभियन्ता	निधियां सीधे तौर पर कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) को आबंटित की जाऐंगी।
6	₹ 2.50 करोड़ से अधिक और 5.00 करोड़ तक / ₹ 25.00 लाख से अधिक और 50.00 लाख तक (राजकीय कोष)	कार्यकारी अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता	यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम से अधिक 5 प्रतिशत तक हैं, तो अधीक्षण अभियंता दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के 5 प्रतिशत से अधिक तथा 10 प्रतिशत तक हैं, तो मुख्य अभियंता दरों का अनुमोदन करेगा। यदि दरें हरियाणा अनुसूची दर जमा स्वीकृत जोनल प्रीमियम के	कार्यकारी अभियन्ता	निधियां सीधे तौर पर कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) को आबंटित की जाएंगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						10 प्रतिशत से अधिक है, तो विकास तथा पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय कार्य समिति, जिसमें प्रशासनिक सचिव और मुख्य अभियंता शामिल हैं, दरो को अनुमोदित करेगी।		
7	₹ 5.00 करोड़ से अधिक तथा 10.00 करोड़ तक / ₹ 50.00 लाख से अधिक और ₹ 1.00 करोड तक (राजकीय कोष)	कार्यकारी अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता	विकास तथा पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय निविदा आंबटन समिति, जिसमें प्रशासनिक सचिव और मुख्य अभियंता तथा वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो सचिव से नीचे की पदवी का न हो शामिल हैं, दरों का अनुमोदन करेगी।	कार्यकारी अभियन्ता	निधिया सीधे तौर पर कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) को आबंटित की जाएंगी।
8	₹ 10.00 करोड़ से अधिक / 1.00 करोड़ से अधिक (राजकीय कोष)	कार्यकारी अभियन्ता	मुख्य अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता	कार्यकारी अभियन्ता	मुख्यमंत्री तथा विकास तथा पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय निविदा आंबटन समिति जिसमें प्रशासनिक सचिव और मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) और वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल हैं, दरों का अनुमोदन करेंगी।	कार्यकारी अभियन्ता	निधियां सीधे तौर पर कार्यकारी अभियंता (पंचायती राज) को आबंटित की जाएंगी।

अनुसूची "ग"

[देखिए नियम 135(1)]

कार्यों के आवंटन के लिए निविदा आमंत्रित करने की रीति

जब कोई कार्य किसी ठेकेदार को सौंपा जाना है, तो उपमंडल अभियंता या कार्यकारी अभियंता या पंचायती राज संस्था अपने प्रतिनिधि आहरण तथा संवितरण अधिकारी के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, निविदाएं आमंत्रित करेगा। निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस को अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और निविदाओं को निविदा रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। निविदा का रिकॉर्ड पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद) द्वारा बनाए रखा जाएगा और प्रत्येक कार्य के लिए ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रति संबंधित उप मण्डल अभियंता या कार्यकारी अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, को सौंपी जानी चाहिए। सरकार द्वारा समय–समय पर, जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निविदा की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

करारनामा

1. निविदा के माध्यम से निष्पादित किये जा रहे कार्यों को लिखित करारनामे के आधार पर किराये पर दिया जायेगा।

2. जन सम्पर्क विभाग अथवा अन्य माध्यम से सरकार की नीति के अनुसार स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से निविदाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कार्यकारी अभियंता, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय कक्षों के बाहर लगाए गए नोटिस सहित सार्वजनिक नोटिस बोर्ड पर अंग्रेजी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषा में भी नोटिस प्रदर्शित किए जाएंगे।

निविदा नोटिस सभी मामलों में निम्नलिखित बताएगा : –

(i) ठेकेदार द्वारा अनुमान, योजना, विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन देखे जा सकते हैं।

(ii) निविदा प्ररूप की लागत और ई–सेवा शुल्क निविदा वेबसाइट, यदि कोई हो, पर दिखाया जाना चाहिए।

(iii) निविदाओं के मामले में तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय।

(iv) बयाना राशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 या ओ0टी0सी0 के माध्यम से सीधे ऑनलाइन किया जाएगा।

(v) निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।

(vi) समय सीमा जिसके दौरान कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है।

(vii) सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने की शक्ति होगी।

(viii) सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग या अन्य समय–समय पर अन्य माध्यम से ई–टेंडरिंग निविदा के लिए सामान्य बोली दस्तावेज के लिए अंतिम रूप लागू होगा।

प्रचार की न्यूनतम सूचना

(क)	₹ 25.00 लाख तक के कार्य	7 कार्य दिवस।
(ख	₹ 25.00 लाख से अधिक लेकिन 50.00 लाख रुपये से अन अधिक के कार्य	15 कार्य दिवस।
(ग)	₹ 50.00 लाख से अधिक के कार्य	21 कार्य दिवस।

(घ) उपरोक्त प्रचार अवधि, सरकार द्वारा यथा निर्देशित, परिवर्तित की जा सकती है।

निविदाएं आमंत्रित करने की वैधता

1. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद बोलियां कम से कम 120 दिनों या सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए वैध रहेंगी। कम अवधि के लिए वैध बोली को कार्यकारी अभियंता द्वारा गैर–उत्तरदायी मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में, मूल समय सीमा समाप्त होने से पहले, नियोक्ता अनुरोध कर सकता है कि बोलीदाता एक निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के लिए वैधता की अवधि बढ़ा सकता है।

2. असाधारण परिस्थितियों में, मूल समय सीमा समाप्त होने से पहले, नियोक्ता अनुरोध कर सकता है कि बोलीदाता एक निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के लिए वैधता की अवधि बढ़ा सकते हैं। अनुरोध और बोलीदाताओं की प्रतिक्रिया लिखित रूप में या केबल द्वारा की जाएगी। एक बोलीदाता अपनी बोली सुरक्षा को जब्त किए बिना अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। अनुरोध से सहमत होने वाले बोलीदाता को अपनी बोली को संशोधित करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी, लेकिन विस्तार की अवधि के लिए अपनी बोली सुरक्षा की वैधता का विस्तार करना आवश्यक होगा।

निविदाएं खोलना

उपमंडल अभियंता या कार्यकारी अभियंता, जैसा भी मामला हो, निविदा प्ररुप/बोली दस्तावेज में निर्धारित या समय–समय पर सरकार द्वारा यथा विहित नियमों का पालन करेगा।

अनुसूचि "घ"

(देखिए नियम 139)

कार्यों के मूल्यांकन की योग्यता

क्रम संख्या	कर्मचारी/अधिकारी की योग्यता	कार्य की सीमा	मुरम्मत	टिप्पणी
1.	कनिष्ठ अभियंता	₹ 2 लाख तक	₹ 20 हजार	बशर्ते प्रांकलन तकनीकी रूप से स्वीकृत हो।
2.	उप–मण्डल अधिकारी	₹ 2 लाख से अधिक लेकिन 25 लाख तक	₹ 2.5 लाख	बशर्ते प्रांकलन तकनीकी रूप से स्वीकृत हो।
3.	कार्यकारी अभियन्ता	₹ 25 लाख से अधिक	₹ 2.5 लाख से अधिक	बशर्ते प्रांकलन तकनीकी रूप से स्वीकृत हो।

अनिल मलिक,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 9th May, 2023

No. S.O. 21/H.A. 11/1994/S. 209/2023.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) and with reference to the Haryana Government, Development and Panchayats Department, notification No. DPH-ECA-2-257/2023, dated the 7th February, 2023, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget, Accounts, Audit, Taxation and Works (Second Amendment) Rules, 2023.

2. In the Haryana Panchayati Raj Finance, Budget Accounts, Audit, Taxation and Works Rules, 1996, (hereinafter called the said rules), in rule 2,-

(i) after clause (xi), the following clause shall be added, namely:-

'(xi-a) "Departmental execution of work" means the department concerned shall employ the labour required like masons, carpenters, plumbers, mazdoors, bhistis etc. whose attendance shall be recorded daily in the muster rolls. The materials for construction and plant and equipment (except for the personal tools of skilled labour) shall be supplied by the department. The labour shall be paid weekly, fortnightly or monthly as decided.'.

(ii) for clause (xl), the following clause shall be substituted, namely:-

(xl) "tender" means an offer by a contractor for undertaking any development work or part of a development work awarded through electronic mode only;

3. In the said rules, for the words, "Sub Divisional Officer", wherever occuring, the words "Sub Divisional Engineer" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 131, in sub- rule (1) ,–

(i) for clauses (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(b) besides the cost of actual work other components of cost, as relevant; like contingencies, quality control measures etc.; may also be provided in a rough cost estimate as per Public Works Department Code.

(c) a revised estimate in Form LVI and LVII shall be submitted to the authority competent to accord original administrative approval when the sanctioned estimate is likely to exceed or has exceeded more than 10 percent, if it is not executed within the stipulated period or due to revision of rates as per Haryana Public Works Department schedule of rates 2021.";

(ii) after clause (f), the following clause shall be added, namely:-

"(g) separate estimate shall be prepared for each work instead of clubbing different types of works in one estimate. In case of pavement work of a street, single estimate shall be prepared for all the proposed streets, no part estimate of a particular street shall be prepared. A site plan shall be enclosed showing the proposed street in Red Colour, already paved streets in Black Colour and the remaining kachha streets in Yellow Colour to avoid duplication or misutilization of funds. Each estimate shall be accompanied with a geotagged photo of the proposed site specifically mentioning the time and date of the photo captured. Splitting of work shall not be allowed.".

5. In the said rules, in rule 134,-

(i) in sub- rule (1), for clauses (a) and (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) the Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zila Parishad, as the case may be, shall be competent to accord administrative approval of work(s) from their respective funds as per Schedule 'A'.

(b) for funds other than Gram Fund, Samiti Fund, Zila Parishad Fund under plan/non plan schemes of the Government; the administrative approval shall be accorded by the competent authority as per Schedule 'A' subject to the general directions of the Government.

(c) all development works shall be executed through tender by Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad or Executive Engineer, as the case may be, subject to technical approval as per Schedule 'A' and tender process shall be carried out as per Schedule 'B' and 'C':

Provided that for the development works estimated to cost upto five lakh rupees may be executed by the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be, without following the tender process subject to the condition that such estimated amount of works shall

not exceed twenty five lakh rupees or half of the total available Gram Fund or Samiti Fund or Zila Parishad Fund, as the case may be, whichever is lower during the whole financial year.

(d) The executing agency concerned shall initiate the process of execution of work within fifteen days of allocation of funds in its account. All the accounts shall be maintained by the respective authorities as per departmental register in Form LVIII and tender register in Form LIX and LX."

(ii) in sub- rule (2), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) In case of work costing up to twenty-five lakh rupees, a bidder has to deposit five percent of the tender amount as earnest money. Work Order shall be issued to successful bidder without issuing "acceptance letter" subject to the condition that earnest money deposited by the bidder shall be refunded only if the amount of required performance security at the rate of five percent is deposited or it is deducted from the first running bill. In case of work costing above twenty-five lakh rupees, a bidder has to deposit two percent of the tender amount or one lakh twenty five thousand rupees whichever is higher as earnest money. The same mechanism as is applicable to all agencies of Government for cooperative labour and construction societies shall be applicable to works undertaken by Panchayati Raj Institutions. The provisions of the standard bid document issued by Public Works Department, (Building and Roads) and applicable to all agencies of Government in case the bids are received at low rates shall apply to works undertaken by Panchayati Raj Institutions. Mechanism for quality assurance shall be established through the proposed Quality Assurance Authority.

The successful bidder shall deposit required performance security within seven days of receipt of letter of acceptance, with the Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad or Executive Engineer, as the case may be, in the form of bank guarantee/Fixed Deposit Receipt as specified by the Government. Failure of the successful bidder to comply with the requirements mentioned in bid document shall constitute sufficient ground for cancellation of the award and forfeiture of the earnest money and such bidder shall be debarred for a period of two years from participation in tenders in the department. If the tender rates are received unbalanced then additional performance security may be deposited as per bid documents or as specified by government from time to time. When a tender has been accepted, an agreement in a form prescribed in sub-para (1) of para 7.3 of Manual of Orders of the Public Works Department, (Building and Roads) Branch, Haryana shall be entered jointly by the Panchayati Raj Institution concerned, Drawing and Disbursing Officer of Panchayati Raj Institution and Sub-Divisonal Engineer or Executive Engineer concerned, as the case may be, with the contractor. The performance security deposited shall be refunded after the completion of defect liability-cum-maintenance period.

(b) The security shall be deducted from the running bills of the contractor at the rate of six percent (maximum five percent of the contract value); which shall be repaid half on completion of the whole work to the contractor and half when the defect liability-cum-maintenance period has passed. During the defect liability-cum-maintenance period, the Engineer shall notify the defects to the contractor well in time. It shall be the duty of the contractor to remove these defects to the satisfaction to the site incharge Engineer. The Drawing and Disbursing Officer of the Gram Panchayat or the Panchayat Samiti or Zila Parishad or Executive Engineer as the case may be, shall ensure that this exercise has been duly completed by the contractor and the site incharge Engineer. In the meantime, if his work has been found to be defective or not up to the specifications and the contractor has not remedied such defect or has failed to bring the work up to specifications, in that case, such security or sum deducted shall be forfeited, as per bid document. A record of the deposits, made by deduction from running bills as also of all the payments of deposits shall be kept in the office of the Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad or Executive Engineer, as the case may be, in deposit register in Form LXXII.".

6. In the said rules, in rule 135, for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) When the estimated cost of development work is upto five lakh rupees, Gram Panchayat/ Panchayat Samiti/ Zila Parishad may decide to execute the work either through tender or to execute the work departmentally. For the purposes of tender, the provisions mentioned in rule 134 shall apply. The reference rates for Interlocking Paver Blocks shall be determined at the state level. The field functionaries shall be free to procure Interlocking Paver Blocks at rates equal to or lower than the reference rates through the District Level Committee after following a competitive process or through GeM Portal, whichever is lowest. Store items like RCC Bench, Dustbin, RO, Water Cooler, Tricycle, E-Rickshaw etc.

and the material for which supplier and rates are not fixed by Government, the material is to be procured through local market on the rates approved by the District Level Purchase Committee or GeM Portal, whichever is less. Supply order shall be issued by Sarpanch and Gram Sachiv/Chairman Panchayat Samiti and Block Development and Panchayats Officer/President Zila Parishad and Chief Executive Officer in case of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad respectively".

The workwise stock register shall be maintained by Panchayati Raj Institutions. No advance payment shall be allowed. Bill as per site measurements shall be supplied by the contractor. Technical authorities shall ensure that assessment of the development works shall be done as per latest Haryana Schedule of Rates 2021 rates. No other methods shall be allowed. Taxes etc. shall be deducted and deposited by the Drawing and Disbursing Officer of concerned Panchayati Raj Institutions as per rule.

(2) When the work costing upto five lakh rupees, is to be executed departmentally, works on quotation basis shall be undertaken only on labour rates. Quotations for labour rates may be invited by the committee constituted as under :-

(1) Sarpanch, Gram Sachiv, Junior Engineer & Social Education Panchayats Officers in case of Gram Panchayat.

(2) Chairman, Panchayat Samiti, Block Development and Panchayats Officer and Sub Divisional Engineer of the concerned block in case of Panchayat Samiti.

(3) President, Zila Parishad, Chief Executive Officer and Executive Engineer Panchayati Raj in case of Zila Parishad

The said Committee shall finalize the lowest rates and while finalizing the rates, prevailing rates for the similar nature of works in other PRIs shall be kept in mind. Quotation notice (Form LXXIII) shall be displayed on Notice Board also. The Sarpanch and Gram Sachiv/Secretary/ Chairman Panchayat Samiti and Block Development & Panchayat Officer/President Zila Parishad and Chief Executive Officer shall issue the work order in case of Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad respectively. Enhancement of the amount of work order or splitting the same work into different parts is not allowed. Quotation register shall be maintained by the Panchayati Raj Instituitions in which entries of quotation invited for each work must be made for proper record and audit. Security from the running bills shall be deducted as per rule 134."

7. In the said rules, after rule 145, the following rules shall be added, namely:-

"146. General guidelines. section 209. Any general guidelines relating to execution of development works issued by the State Government or by Public Works Department shall be followed.

147. Responsibility for quality and quantity. section 209. The Junior Engineer/ Sub Divisional Engineer/ Executive Engineer concerned shall be responsible for quality and quantity for all works executed through tender; which shall be shared in the ratio of 80:20 by technical wing (Junior Engineer/Sub Divisional Engineer/Executive Engineer) and Drawing and Disbursing Officer of the Panchayati Raj Institutions (Gram Panchayat/Panchayati Samiti/Zila Parishad) concerned. The works that are executed by the Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad without tendering process, the Drawing and Disbursing Officer of the Panchayati Raj Institution concerned, who is releasing the payment of work shall be responsible in addition to the technical authority concerned and responsibility shall be shared in the ratio of 80:20 respectively i.e. 80% for the Drawing and Disbursing Officer of Panchayati Raj Institutions (Gram Panchayat/Panchayati Samiti/Zila Parishad) and 20% for the technical wing (Junior Engineer/Sub Divisional Engineer/Executive Engineer).

148. Review of progress and report thereof. section 209. The Block Development and Panchayat Officer concerned in case of works being executed by Gram Panchayat and Panchayat Samiti and the Chief Executive Officer in case of works being executed by Zila Parishad or Executive Engineer, shall review the progress of all development works every month. The Block Development and Panchayat Officer shall submit such report to the Chief Executive Officer who shall submit a compiled monthly report of the district to the Director.

149. Fixation of rates of material. section 209. The building construction material for which rate contract has not been done by the Government, a committee headed by the Deputy Commissioner and consisting of the Chief Executive Officer, District Development and Panchayat Officer and Executive Engineer, shall fix the rates for various materials block-wise and shall review the rates after every six months keeping in view the rates prevailing in the market. At the time of fixation of rates, competitive rates shall be explored **through e-tendering process.**

150. Inspection and verification of works. section 209. (1) In respect of any development work, no payment shall be made by any executing agency either in advance or without due technical verification by the competent authority.

(2) The Deputy Commissioner, Superintending Engineer, Additional Deputy Commissioner, Chief Executive Officer, Executive Engineer, Sub-Divisional Officer (Civil), District Development and Panchayat Officer and Block Development and Panchayat Officer, shall mandatorily inspect the development works at least to the extent 1%, 1%, 2%, 5%, 5%, 5%, 5% and 10% of the total works in their jurisdiction respectively.

(3) The Gram Sachiv shall submit a monthly report of all the income and expenditure done by the Gram Panchayat to the Social Education and Panchayat Officer who shall submit the same to the Block Development and Panchayat Officer. The Social Education and Panchayat Officer shall regularly inspect the records of all Gram Panchayats and shall ensure that there is no unauthorized withdrawal by the Gram Panchayat and all such cases shall be reported in writing to the Block Development and Panchayat Officer concerned immediately who shall take action against the delinquents.

(4) In case any Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad or Executive Engineer utilizes the fund for any work other than sanctioned work, the Drawing and Disbursing Officer of Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad or Executive Engineer concerned and Technical authority verifying the work, shall be held responsible.

(5) The Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad or Executive Engineer concerned being the executing agency shall prepare and furnish the Utilization Certificate within fifteen days of the completion of the work undertaken to the Director through Chief Executive Officer.

(6) In case of works being executed by Gram Panchayat or Panchayat Samiti, half of the estimated contingency shall be transferred to the contingent account of Block Development and Panchayat Officer. The contingent amount so transferred may be used by the Block Development and Panchayat Officer or Sub-Divisional Engineer for expenses such as tender process, stationery, hiring charges for vehicles and other unforeseen expenses. The balance 50% contingencies shall be retained by the executing agency with them to defray any other expenses.",

8. In the said rules, for existing Schedules 'A', 'B', 'C' and 'D', the following Schedules shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE 'A'

[(see rule 131, 132 and 134]

Authorities Competent to give (a) Administrative Approval (b) Technical Sanction									
Serial Number	**Nature and value of work**	**Works Being Executed from Gram Panchayat Fund**		**Works Being Executed from Panchayat Samiti Fund**		**Works Being Executed from Zila Parishad Fund**		**Works Being Executed from State Government Fund**	
		Administrative. approval by	Technical sanction by	Administrative approval by	Technical sanction by	Administrative Approval by	Technical sanction by	Administrative. approval by	Technical sanction by
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Original Works Rs. :-									
1.	Without any capping for administrative approval from their own fund as well as grant-in-aid	Gram Panchayat	1. Junior Engineer upto Rs.2.00 lakh 2. Sub Divisional Engineer above Rs.2.00 lakh and upto Rs. 25.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.25.00 lakh	Panchayat Samiti	1. Junior Engineer upto Rs.2.00 lakh 2. Sub Divisional Engineer above Rs.2.00 lakh and upto Rs. 25.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.25.00 lakh and	Zila Parishad	1. Junior Engineer upto Rs.2.00 lakh 2. Sub Divisional Engineer above Rs.2.00 lakh and upto Rs. 25.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.25.00 lakh	1.Develop-ment and Panchayats Minister upto Rs.10.00 Cr 2. Chief Minister above Rs. 10.00 Cr	1. Junior Engineer upto Rs.2.00 lakh 2. Sub Divisional Engineer above Rs.2.00 lakh and upto Rs. 25.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.25.00 lakh and

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			and upto Rs. 1.00 Cr 4. Superintending Engineer above Rs.1.00 Cr and upto Rs.2.50 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.2.50 Cr		upto Rs. 1.00 Cr 4. Superintending Engineer above Rs.1.00 Cr and upto Rs.2.50 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.2.50 Cr.		and upto Rs. 1.00 Cr 4. Superintending Engineer above Rs.1.00 Cr and upto Rs.2.50 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.2.50 Cr		upto Rs. 1.00 Cr 4. Superintending Engineer above Rs.1.00 Cr and upto Rs.2.50 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.2.50 Cr
B.	**Repairs and Maintenance**								
1	Without any capping for administrative approval from their Own funds as well as grant-in-aid	Gram Panchayat	1. Junior Engineer upto Rs.20,000 2. Sub Divisional Engineer above Rs.20,000 & upto Rs. 10.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.10.00 lakh and upto Rs. 25.00 Lakh 4. Superintending Engineer above Rs.25.00 Lakh and upto Rs.1.00 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.1.00 Cr	Panchayat Samiti	1. Junior Engineer upto Rs.20,000 2. Sub Divisional Engineer above Rs.20,000 and upto Rs. 10.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.10.00 lakh and upto Rs. 25.00 Lakh 4. Superintending Engineer above Rs.25.00 Lakh and upto Rs.1.00 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.1.00 Cr	Zila Parishad	1. Junior Engineer upto Rs.20,000 2. Sub Divisional Engineer above Rs.20,000 and upto Rs. 10.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.10.00 lakh and upto Rs. 25.00 Lakh 4. Superintending Engineer above Rs.25.00 Lakh and upto Rs.1.00 Cr 5. Chief Engineer exceeding	1.Chief Executive Officeer (Zila Parishad) upto Rs. 2.00 lakh in case of streets and other than streets Rs.10.00 lakh 2.Director above Rs. 2.00 lakh & upto Rs.25.00 lakh in case of streets and above Rs.10.00 lakh & upto Rs.25.00 lakh other than streets 3. Administrative Secretary above Rs. 25.00 lakh and upto Rs.50.00 Lakh 4. Development & Panchayats Minister above Rs. 50.00 Lakh and upto Rs. 2.00 Cr 5. Chief Minister above Rs. 2.00 Cr	1. Junior Engineer upto Rs.20,000 2. Sub Divisional Engineer above Rs.20,000 and upto Rs. 10.00 lakh 3. Executive Engineer above Rs.10.00 lakh and upto Rs. 25.00 Lakh 4. Superintending Engineer above Rs.25.00 Lakh and upto Rs.1.00 Cr 5. Chief Engineer exceeding Rs.1.00 Cr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Rs.1.00 Cr		

"SCHEDULE 'B'

CALLING AND ACCEPTANCE OF TENDERS

[(see rule 134 and 135]

Serial Number	Costing of original works/repair works	Authority to prepare Notice Inviting Quotation/Notice Inviting Tender	Authority to Approve Notice Inviting Quotation/Notice Inviting Tender	Authority to call tenders/ quotation	Authority to accept quotation/ tenders	Conditions of acceptance if any	Authority to execute works orders/ agreement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Up to Rs. 25 lakh / upto Rs. 2.50 lakh (Gram Fund/ Samiti Fund/ Zila Parishad Fund)	Junior Engineer	Sub Divisional Engineer	Sub Divisional Engineer (In case of quotation of the work costing upto Rs.5.00 lakh, Sarpanch or (Chairman and Executive Officer) or (President and Chief Executive Officer)	Sub Divisional Engineer in concurrence of Sarpanch of Gram Panchayat or Chairman of panchayat Samiti or President of Zila Parishad as the case may be.	In case, rates exceed upto five percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, then Sub Divisional Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be. If the rates exceed above five percent and upto ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Executive Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch of Gram Panchayat or Chairman of Panchayat Samiti or President of Zila Parishad as the case may be. If the rates exceed above ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Superintending Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be.	Sub Divisional Engineer and {Sarpanch or (Chairman and Executive Officer) or (President and Chief Executive Officer)}, as the case may be, jointly.	Estimate should be technically sanctioned
2	Above Rs. 25 lakh and up to 2.50 Cr/ above Rs. 2.50 lakh and upto Rs. 25.00 lakh (Gram Fund/ Samiti Fund/ Zila Parishad Fund)	1. Sub Divisional Engineer upto Rs.1.00 Cr. 2. Executive Engineer above Rs.1.00 Cr. and upto Rs.2.50 Cr.	1. Executive Engineer upto Rs.1.00 Cr. 2. Superint-ending Engineer above Rs.1.00 Cr. and upto Rs.2.50 Cr.	Executive Engineer	Executive Engineer concurrence of Sarpanch of Gram Panchayat or Chairman of panchayat Samiti or President of Zila Parishad as the case may be.	In case, rates exceed upto five percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, then Executive Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be. If the rates exceed above five percent and upto ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Superintending Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be. If the rates exceed above ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Chief Engineer shall	Executive Engineer and {Sarpanch or (Chairman and Executive Officer) or (President and Chief Executive Officer)}, as the case may be, jointly.	Estimate should be technically sanctioned

Serial Number	Costing of original works/repair works	Authority to prepare Notice Inviting Quotation/Notice Inviting Tender	Authority to Approve Notice Inviting Quotation/Notice Inviting Tender	Authority to call tenders/ quotation	Authority to accept quotation/ tenders	Conditions of acceptance if any	Authority to execute works orders/ agreement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be.		
3	Above Rs. 2.5 Cr /above Rs. 25.00 lakh (Gram Fund/ Samiti Fund/ Zila Parishad Fund)	Executive Engineer	Superintending Engineer	Executive Engineer	Executive Engineer concurrence of Sarpanch of Gram Panchayat or Chairman of panchayat Samiti or President of Zila Parishad as the case may be.	In case, rates exceed upto five percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, then Superintending Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be. If the rates exceed above five percent and upto ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Chief Engineer shall approve the rates in concurrence of Sarpanch or Chairman or President, as the case may be.	Executive Engineer and {Sarpanch or (Chairman and Executive Officer) or (President and Chief Executive Officer)}, as the case may be, jointly.	Estimate shall be technically sanctioned
4	Upto Rs. 25 lakh/ Rs. 2.50 lakh (Government Funds)	1. Sub Divisional Engineer upto Rs.1.00 Cr. 2. Executive Engineer above Rs.1.00 Cr. and upto Rs.2.50 Cr.	1. Executive Engineer upto Rs.1.00 Cr. 2. Superint-ending Engineer above Rs.1.00 Cr. and upto Rs.2.50 Cr.	Executive Engineer	Executive Engineer	In case, rates exceed upto five percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, then Executive Engineer shall approve the rates. If the rates exceed above five percent and upto ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Superintending Engineer shall approve the rates. If the rates exceed above ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Chief Engineer shall approve the rates.	Sub Divisional Engineer and {Sarpanch or (Chairman and Executive Officer) or (President and Chief Executive Officer)}, as the case may be, jointly. Executive Engineer (in case of department)	Generally funds shall be allocated to PRI, funds may be allocated to Executive Engineer (Panchayat i Raj) also.
5	Above Rs. 25 lakh & upto 2.50 Cr/ above Rs. 2.50 lakh and upto Rs. 25.00 lakh (Government Funds)	1. Sub Divisional Engineer upto Rs.1.00 Cr. 2. Executive Engineer above Rs.1.00 Cr. and upto Rs.2.50 Cr.	1. Executive Engineer upto Rs.1.00 Cr. 2. Superint-ending Engineer above Rs.1.00 Cr. and upto Rs.2.50 Cr.	Executive Engineer	Executive Engineer	In case, rates exceed upto five percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, then Executive Engineer shall approve the rates. If the rates exceed above five percent and upto ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Superintending Engineer shall approve the rates. If the rates exceed above ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Chief Engineer shall approve the rates.	Executive Engineer	Funds shall be allocated directly to Executive Engineer (Panchayati Raj)

Serial Number	Costing of original works/repair works	Authority to prepare Notice Inviting Quotation/Notice Inviting Tender	Authority to Approve Notice Inviting Quotation/Notice Inviting Tender	Authority to call tenders/ quotation	Authority to accept quotation/ tenders	Conditions of acceptance if any	Authority to execute works orders/ agreement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Above Rs. 2.50 Cr and upto Rs. 5.00 Cr / above Rs. 25.00 lakh and upto Rs.50.00 lakh (Government Funds)	Executive Engineer	Chief Engineer	Executive Engineer	Executive Engineer	In case, rates exceed upto five percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, then Superintending Engineer shall approve the rates. If the rates exceed above five percent and upto ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Chief Engineer shall approve the rates. If the rates exceed above ten percent of Haryana Schedule of Rates plus sanctioned zonal premium, the Departmental Works Committee headed by Development & Panchayats Minister and including Administrative Secretary and Chief Engineer shall approve the rates.	Executive Engineer	Funds shall be allocated directly to Executive Engineer (Panchayati Raj)
7	Above Rs. 5.00 Cr and upto Rs. 10.00 Cr / above Rs. 50.00 lakh and upto Rs.1.00 Cr (Government Funds)	Executive Engineer	Chief Engineer	Executive Engineer	Executive Engineer	Tender allotment Committee headed by Development & Panchayats Minister and including Administrative Secretary, Chief Engineer and representative of Finance Department not below the rank of secretary shall approve the rates.	Executive Engineer	Funds shall be allocated directly to Executive Engineer (Panchayati Raj)
8	Above Rs. 10.00 Cr / above Rs. 1.00 Cr. (Government Funds)	Executive Engineer	Chief Engineer	Executive Engineer	Executive Engineer	Tender allotment Committee headed by Chief Minister, Development & Panchayats Minister and including Administrative Secretary, Chief Engineer, Engineer-in-Chief, Public Works Department (Building and Roads) and Administrative Secretary of Finance Department shall approve the rates.	Executive Engineer	Funds shall be allocated directly to Executive Engineer (Panchayati Raj)

SCHEDULE 'C'

[see rule 135(1)]

Manner of Calling Tenders for Allotment of Works

When a work is to be entrusted to a contractor, Sub Divisional Engineer or Executive Engineer or Panchayati Raj Institutions through its representative Drawing and Disbursing Officer, as the case may be, shall call Tenders. The Notice inviting Tender shall be approved by the authority indicated in schedule "B" and tenders should be entered in tender register. The record of tender shall be maintained by the Panchayati Raj Institution (Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad) and one copy of such record for each work should be handed over to the Sub Divisional Engineer or Executive Engineer concerned, as the case may be. Procedure of tendering shall be adhered to as per government guidelines, issued from time to time.

Agreement

1. Works being executed through tender shall be let out on the basis of a written agreement.
2. Wide Publicity shall be given for the tenders by means of advertisement in the local popular newspapers as per policy of the Government through Public Relations Department or otherwise. Besides, notices in English as well as in the regional language, shall be displayed on public notice board including those fixed outside the office rooms of the Zila Parishad, Panchayat Samiti, Gram Panchayat or Executive Engineer, as the case may be.

The Tenders notice shall in all cases state —

(i) The estimates, plans, Detailed Notice Inviting Tender and other documents can be seen by the contractor online ;

(ii) Cost of tender form and e servicing fees should be shown on tendering website, if any, thereof;

(iii) The date and time of opening of technical bids in case of tenders;

(iv) The amount of earnest money shall be paid online directly through Real Time Gross Settlement/National Electronic Funds Transfer or OTC;

(v) The authority competent to accept/reject the tenders;

(vi) Time limit during which the work is required to be completed;

(vii) That Competent authority shall have the power to reject any one or all the tenders without assigning any reason;

(viii) The common bid document for e-tendering as finalized by the Government from time to time through Public Works Department or otherwise; shall be applicable.

Minimum Notice of Publicity

(a) Works up to Rs. 25.00 lakh: 7 working days.

(b) Works above Rs. 25.00 lakh but not exceeding Rs. 50.00 Lakh: 15 working days.

(c) Works above Rs. 50.00 Lakh: 21 working days.

(d) Above publicity period may be changed as directed by the Government.

Validity of calling of tenders

1. Bids shall remain valid for a period not less than 120 days or as fixed by Government, after the deadline date for bid submission. A bid valid for a shorter period shall be rejected by the Executive Engineer by treating it as non-responsive. In exceptional circumstances, prior to expiry of original time limit, the employer may request that the bidder may extend the period of validity for a specified additional period.
2. In exceptional circumstances, prior to expiry of the original time limit, the Employer may request that the bidders may extend the period of validity for a specified additional period. The request and the bidders 'responses shall be made in writing or by cable. A bidder may refuse the request without forfeiting his bid security. A bidder agreeing to the request will not be required or permitted to modify his bid, but will be required to extend the validity of his bid security for a period of the extension.

Opening of Tenders

The Sub Divisional Engineer or Executive Engineer, as the case may be, will follow the rules as laid down in tender form/bid document or as prescribed by government from time to time.

SCHEDULE 'D'
(see rule 139)

Competency of Assessment of Works.

Sr No.	Competency of officer/ official	Works up to		Remarks
		Original	Repair	
1.	Junior Engineer	Rs 2,00,000/-	**Rs 20,000/-**	Provided estimate is technically sanctioned
2.	Sub Divisional Engineer	Above Rs 2,00,000/- but upto 25,00,000	**Rs. 2,50,000/-**	Provided estimate is technically sanctioned
3.	Executive Engineer	Above Rs 25,00,000/-	**Above Rs. 2,50,000/-**	Provided estimate is technically sanctioned".

ANIL MALIK,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

10365—L.R.—H.G.P., Pkl.